

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

रीवा, दिनांक 5-8-2021

अकादमिक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1026


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत कला संकाय अन्तर्गत हिन्दी के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

हिन्दी अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	प्रो० दिनेश कुमार कुशवाहा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, जिला-रीवा (म०प्र०)
	28(2) दो	1.	डॉ० लता द्विवेदी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी, शास० आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जिला-रीवा (म०प्र०)
		2.	डॉ० (श्रीमती) ज्योति सिंह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी, शास० कन्या महाविद्यालय, जिला-रीवा (म०प्र०)
	28(2) तीन	1.	रिवत
	28(2) चार	1.	डॉ० ए०के० त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी शास० महाविद्यालय, अमरपाल, जिला-सतना (म०प्र०)
		2.	डॉ० ओम प्रकाश द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी, गमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय, सिरमौर, जिला-रीवा (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1.	डॉ० (श्रीमती) ममता उपाध्याय, सह-प्राध्यापक, हिन्दी शास० कन्या महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2.	डॉ० भूपेन्द्र सिंह, प्राध्यापक, हिन्दी, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो० दिनेश कुमार कुशवाहा को हिन्दी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5/8/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आगुप्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक, रविन्द्रनाथ अकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)